



Online Public Data Entry Summary

26/12

ukpde2017090401660

22-Nov-2017

11:37:08AM

DISTRICT NAME :टिहरी गढ़वाल SRO :टिहरी

Deed/Article Type :Trust (Movable)
 Sub-Deed/Sub-Article :Trust (Movable)
 Village/Location :
 Area :0.0000
 Transaction Value :0.00 Market Value :0.00 Regn Fees :100.00 Stamp Duty :0.00
 Advance :0.00 Lease Period :0.00 Avg. Rent :0.00 Construction Value :0.00
 Khasra : Khatoni : Khewat : House/Flat :
 Land Value :0.00 Page :26 Words :1,000 Deed Writer :
 /Advocate Name :

ब्यवसायिक निर्माण का विवरण		रकम				
क्र.सं	निर्माण का प्रकार					
आवासीय निर्माण का विवरण						
क्र.सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल			
निबंधक शुल्क का विवरण						
क्र.सं	सुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक			
1	Cash	100.00				
स्टाम्प शुल्क का विवरण						
क्र.सं	सुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक			
1	Physical Stamp	0.00	0			
पक्षकारों का विवरण						
पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं.	मोबाइल नं.	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / पराम पक्ष	C/O जिला अधिकारी, जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल	<i>[Signature]</i>	GOVT. JOB	FORM 60		DL UK-0820020173180
प्रेता / द्वितीय पक्ष	C/O जिला खान अधिकारी, जिला खान अधिकारी टिहरी गढ़वाल	<i>[Signature]</i>	GOVT. JOB	FORM 60		VOTER ID : AJU0162818
गवाह:	श्री केशव मैरोला पुत्र श्री मन्मोहन मैरोला निवासी जिला कार्यालय टिहरी गढ़वाल	<i>[Signature]</i>	GOVT. JOB			ADHAAR 6222 7264 6887
गवाह:	श्री विवेक राणा पुत्र श्री मन्मोहन राणा निवासी जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल	<i>[Signature]</i>	GOVT. JOB			ADHAAR 8207 4437 4093

02. माओ सदस्य, शासी परिषद/प्रबन्ध समिति, उत्तराखण्ड जिला स्थानिक फाउण्डेशन न्यास, टिहरी गढ़वाल।
 03. ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, टिहरी गढ़वाल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उत्तराखण्ड जिला स्थानिक फाउण्डेशन न्यास, टिहरी गढ़वाल का तत्काल नियमानुसार पंजीकरण करवाते हुए पंजीकृत प्रति अभिलेख हेतु जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

(प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला)
 लेख या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 22-Nov-2017
 प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम जिला अधिकारी
 लेख का प्रकार Trust (Movable)

प्रतिफल की धनराशि

1 रजिस्ट्रीकरण शुल्क	100.00
2 प्रतिलिपिकरण शुल्क	10.00
3 इलैक्ट्रॉनिक शुल्क	260.00
4 निरीक्षण या तलाश शुल्क	0.00
5 मुख्तारनामा के अभिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क	0.00
6 कमीशन शुल्क	0.00
7 नकल शुल्क	0.00
8 विविध	0.00
9 यात्रिक भत्ता	0.00
10 कम रजिस्ट्रीकरण शुल्क	0.00
11 योग	370.00

शुल्क वसूल करने का दिनांक 22-Nov-2017

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 22-Nov-2017

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर उपनिबंधक, टिहरा

(भाग 1 की प्रतिलिपि पर फिर से लगाया जाने वाला)

(अधिनियम 16,1908 की धारा 52 के अधीन रसीद
 प्रस्तुतकर्ता या प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थी का नाम जिला अधिकारी
 निष्पादक का नाम जिला अधिकारी
 लेख का प्रकार Trust (Movable)

--: आदेश :-

शासनादेश संख्या-1764/VII-1/2017/8ख/16 दिनांक 17.11.2017 तथा औद्योगिक विकास अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-1621/VII-1/2017/8ख/16 दिनांक 17.11.2017 के क्रम में जनपद टिहरी गढ़वाल में निम्नप्रकार जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के अन्तर्गत शासी परिषद एवं प्रबन्ध समिति का निम्नप्रकार गठन किया जाता है :-
शासी परिषद, जनपद टिहरी गढ़वाल:-


- | | | | |
|-----|--|----|------------|
| 01. | मा0 प्रभारी मंत्री, जनपद टिहरी गढ़वाल | :- | अध्यक्ष |
| 02. | मा0 सदस्य विधानसभा | :- | सदस्य |
| | (मा0विधायक टिहरी/नरेन्द्रनगर/घनोल्डी/प्रतापनगर/घनसाली/देवप्रयाग) | :- | सदस्य |
| 03. | जिला अधिकारी/कलेक्टर | :- | सदस्य |
| 04. | जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के दो गणमान्य व्यक्ति
(जो खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य से संबंधित हों) | :- | सदस्य |
| 05. | मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 06. | मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 07. | अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 08. | अधिशाली अभियंता, लघु सिंचाई, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 08. | अधिशाली अभियंता, पेयजल निगम, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 09. | अधिशाली अभियंता, लो0नि0विभाग (प्रान्तीय खण्ड) बौराड़ी | :- | सदस्य |
| 10. | जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 11. | जिला पंचायतराज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 12. | सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी | :- | सदस्य |
| 13. | अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 14. | ग्राम प्रधान (खनन गतिविधि प्रभावित क्षेत्र के) | :- | सदस्य |
| 15. | ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य-सचिव |

इसके अतिरिक्त जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली-2017 के क्रम में जनपद में निम्नप्रकार प्रबन्ध समिति का गठन किया जाता है :-

प्रबन्ध समिति, टिहरी गढ़वाल:-

- | | | | |
|-----|--|----|------------|
| 01. | जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | अध्यक्ष |
| 02. | मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 03. | ग्राम प्रधान (खनन गतिविधि प्रभावित क्षेत्र के) | :- | सदस्य |
| 04. | मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 05. | अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 06. | अधिशाली अभियंता, लघु सिंचाई, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 07. | अधिशाली अभियंता, पेयजल निगम, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 08. | अधिशाली अभियंता, लो0नि0विभाग (प्रान्तीय खण्ड) बौराड़ी | :- | सदस्य |
| 09. | जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 10. | जिला पंचायतराज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 11. | सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी | :- | सदस्य |
| 12. | अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 13. | ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य-सचिव |

उक्त गठित शासी परिषद तथा प्रबन्ध समिति, टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली-2017 (संलग्न) में दिये गये दिशा निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगी।


 (सोनिका)
 जिला अधिकारी,
 टिहरी गढ़वाल।


163 कार्यालय जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

संख्या- /30- 08 (2017-2018) दिनांक, नई टिहरी, नवम्बर 22 2017

प्रतिलिपि-निम्नांकित को नियमावली की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित :-

- मा0 प्रभारी मंत्री जी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- मा0 सदस्य, शासी परिषद/प्रबन्ध समिति, उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास, टिहरी गढ़वाल।
- ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, टिहरी गढ़वाल को इस निर्देश के साथ प्रेषित

कि कृपया उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास, टिहरी गढ़वाल का तत्काल नियमानुसार पंजीकरण करवाते हुए पंजीकृत प्रति अभिलेख हेतु जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


 जिला अधिकारी,
 टिहरी गढ़वाल।



उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग 1
संख्या / VII-1/2017/8 ख/16
देहरादून, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संबन्धित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 67 सन 1957) की धारा 9 से की जायस (3) और धारा 15 एवं 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते अधिसूचना संख्या 1329/VII-1/2017/08ख/16, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्थापित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यासों की संरचना और उनके कर्तव्यों का विनियमन करने और खान क्रियाकलापों के प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी क्रियाकलाप सम्पादित करने की शक्ति को विहित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनायी है -

उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017

- | | | |
|--|----|---|
| संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ | 1. | (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 है।
(2) यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुई संसदीय अधिनियम।
(3) यह सम्पूर्ण प्रदेश में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होगी। |
| परिभाषाएं | 2. | जब तक संदर्भ से अन्यथा आपेक्षित न हो, इस नियमावली में,
(क) 'अधिनियम' से अर्थ समय पर यथा संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 अधिनियम है;
(ख) 'प्रभावित क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां खान सक्रियता की शक्ति है या जारी हो;
(ग) 'प्रभावित व्यक्ति' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी खान से संबंधित क्रियाकलापों द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्षति होती है या जिसकी सम्पत्ति की क्षति होती है;
(घ) 'निधि' से न्यास की निधि अभिप्रेत है;
(ङ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
(च) 'परिवार धारकों' से अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत खान पट्टा, पूर्वीक्षण अनुज्ञापत्र या खान अनुज्ञापत्र के धारक अभिप्रेत है;
(छ) 'खनिज और उपखनिज' से ऐसा खनिज अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित है;
(ज) 'न्यास' से अधिसूचना संख्या 1329/VII-1/2017/08ख/16, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 द्वारा परिभाषित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास अभिप्रेत है;
(झ) 'न्यास विलेख' से राज्य सरकार द्वारा न्यासियों के पदा में नियमादेश विषयक अभिप्रेत है;
(ञ) 'न्यास/न्यासीगण' से न्यास को शासित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/व्यक्ति अभिप्रेत है; |

E E Jal Nagam
New Tehri
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

देहरा गढ़वाल

03. ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, ICERA गढ़वाल को सूचित किया कि कृपया उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, टिहरी गढ़वाल का तत्काल नियमानुसार पंजीकरण करवाते हुए पंजीकृत प्रति अभिलेख हेतु जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

बही संख्या 4 रजिस्ट्रीकरण संख्या 76 वर्ष 2017

Trust (Movable)

Trust (Movable)

रजिस्ट्रेशन शुल्क रु0 100.00	प्रतिलिपि शुल्क रु0 10.00	इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क रु0 260.00	कुल योग रु0 370.00	शब्द लगभग 1,000
---------------------------------	------------------------------	---	-----------------------	--------------------

C/Oजिला अधिकारी , जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल निवासी टिहरी गढ़वाल
ने आज दिनांक 22 Nov 2017 समय मध्य 12PM व 1PM को कार्यालय उपनिबन्धक
टिहरी मे प्रस्तुत किया।




Soumit
जिला अधिकारी

उपनिबन्धक
टिहरी
22-Nov-2017

इस लेख पत्र का निष्पादन दिनेश के लिखित तथ्यों को सुन कर उपनिबन्धक C/Oजिला
अधिकारी , जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल निवासी टिहरी गढ़वाल ने
प्रलेखानुसार निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन प्रलेखानुसार
C/Oजिला खान अधिकारी , जिला खान अधिकारी टिहरी गढ़वाल निवासी टिहरी
गढ़वाल ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री केशव गैरोला पुत्र श्री स्व० जे० पी० गैरोला निवासी जिला
कार्यालय टिहरी गढ़वाल तथा श्री विरेन्द्र राणा पुत्र श्री स्व० अतार सिंह राणा निवासी
जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल ने की।



Soumit
उपनिबन्धक
टिहरी
22-Nov-2017

न्यास के उद्देश्य

3. न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-
- (1) 'खनन संकियाओं' या अन्य संबंधित क्रियाकलापों एवं खनिज परिवहन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा उनकी प्रसुविधा के लिए कार्य करना;
 - (2) प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन में संग्रहीत निधियों का उपयोग करना; और
 - (3) ग्राम राडक, जलीय स्थान एवं अन्य सामान्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श पर निधि का उपयोग करना;

न्यास का गठन एवं प्रबन्ध

4. न्यास का गठन एवं प्रबन्ध नियमानुसार होगा :-
- (1) न्यास में एक शासी परिषद एवं एक प्रबन्ध समिति होगी;
 - (2) न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद में निहित होगा;
 - (3) शासी परिषद में निम्नलिखित होंगे :-

(क) संबंधित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
(ख) संबंधित मा० सदस्यगण विधान सभा	सदस्य
(ग) जिलाधिकारी / कलेक्टर	सदस्य
(घ) जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के दो गणमान्य व्यक्ति (जो कि खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य से संबंधित हों)	सदस्य
(ङ) मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(च) मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
(छ) सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ज) लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(झ) पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ञ) लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ट) जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(ठ) जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
(ड) उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य
(ण) अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग) जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य
(त) खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(थ) ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी	सदस्य सचिव

नोट:- संबंधित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री यदि अपरिहार्य कारणों से परिषद की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो परिषद के सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता हेतु मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया जायेगा।

- (4) गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 03 वर्ष होगा;
- (5) कोई सरकारी सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत हो जाय;
- (6) न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली प्रबन्ध समिति में निहित होगी।

L. J. J.

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

03. ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी का तत्काल नियमानुसार पंजीकरण कि कृपया उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास, टिहरी गढ़वाल का तत्काल नियमानुसार पंजीकरण करवाते हुए पंजीकृत प्रति अभिलेख हेतु जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

बही संख्या 4 रजिस्ट्रीकरण संख्या 76 वर्ष 2017



[Signature]

जिला अधिकारी




[Signature]

केशव गैरोला



[Signature]

विरेंद्र राणा



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

[Signature]
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, टिहरी
22 Nov 2017

- (5) अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों में न्यास द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को लागू करने से पूर्व ग्राम पंचायत की संस्तुति प्राप्त करनी होगी;

शासी परिषद की शक्तियां एवं कृत्य

6. शासी परिषद निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :-

- (1) न्यास की कार्यप्रणाली के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करना और समय-समय पर उसकी कार्य पद्धति की समीक्षा करना;
- (2) न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट तैयार किया जाना और उसे अनुमोदित किया जाना।

शासी परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के कम से कम एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदित की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में तत्संबंधी प्रायोगिक उपबन्धों सहित योजनाओं और परियोजनाओं की सूची अन्तर्विष्ट होगी;

परन्तु यह कि यदि किसी भी कारण से शासी परिषद वार्षिक कार्य योजना और बजट विनिर्दिष्ट समय के भीतर तैयार कर अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यक्ष को न्यास की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट तैयार करने और तदनुमोदित कारण अभिलिखित करते हुए उसे अनुमोदित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार तैयार किया गया बजट शासी परिषद द्वारा सम्यक रूप से तैयार एवं अनुमोदित किया गया समझा जायेगा।

परन्तु यह और भी कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय पूर्व प्रतिबद्धता और उससे उत्पन्न होने वाली दायित्वों के कुल योग का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने एवं परियोजना को समय से पूरा करने के लिए पूर्व दायित्वों और प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित की जा रही नई योजनाओं का कुल योग, किसी भी दशा में अगले वित्तीय वर्ष के लिए न्यास में पायी गयी प्रत्याशित अन्तर्प्रवाहों के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।

- (3) उपलब्ध न्यास निधि से न्यास के उद्देश्यों को अग्रसारित करने में ऐसे अन्य व्यय का अनुमोदन करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।
- (4) प्रबन्ध समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित करना।
- (5) पूर्ववर्ती वर्ष के समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर न्यास के वार्षिक रिपोर्टों और सम्परिक्षित लेखाओं का अनुमोदन करना।

शासी परिषद की बैठक

7. (1) शासी परिषद प्रायः यथा आवश्यक बैठक करेगी, किन्तु प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार बैठक करना अनिवार्य होगा।
- (2) शासी परिषद की बैठक का संचालन अध्यक्ष द्वारा यथानिर्दिष्ट रूप में की जायेगी।
- (3) ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति शासी परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई उपस्थिति से होगी।

प्रबन्ध परिषद की बैठक

8. किसी वित्तीय वर्ष में प्रबन्ध समिति की कम से कम छः बार बैठक होगी तथा इसका संचालन उसी रूप में किया जायेगा, जैसा कि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय।

प्रबन्ध समिति की शक्तियां और कृत्य

9. प्रबन्ध समिति :-

- (1) न्यास के हितों की रक्षा हेतु अपने कर्तव्यों के निष्पादन करने में आवश्यक रूप से तत्परतापूर्वक कार्य करेगी;

03. ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, टिहरी गढ़वाल को इस निदेश के साथ प्रस्ताव

के मूल्या उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास, टिहरी गढ़वाल का तत्काल नियमानुसार पंजीकरण करवाते हुए पंजीकृत प्रति अभिलेख हेतु जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

- (2) अभिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपायकों तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार सर्वोच्च स्तरीय पट्टाधारकों से सामयिक अंशदान निधि संग्रह सुनिश्चित करेगी,
- (3) न्यास के क्रियाकलापों के लिए महासंयोजक द्वारा अभिलेख तैयार करेगी,
- (4) प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं सहित न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट की तैयारी में सहायता करेगी,
- (5) वार्षिक योजना और अनुमोदित योजनाओं तथा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करेगी और उनका निष्पादन सुनिश्चित करेगी,
- (6) परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी तथा उक्त परियोजनाओं के न्यास निधि आहरण-वितरण करेगी,
- (7) न्यास निधि संचालित करेगी और उसमें तत्परतापूर्वक विनिधान करेगी तथा न्यास के नाम से खाता खोलगी और ऐसे खाते तथा विनिधानों को संचालित करेगी,
- (8) न्यास निधि की प्रगति और व्यय की प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करेगी,
- (9) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर शासी परिषद के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु वार्षिक प्रतिवेदन सहित सम्बन्धित लेखा प्रस्तुत करेगी,
- (10) ऐसे अन्य कार्य करेगी, जो न्यास के सुगम कार्य संचालन तथा प्रवृत्ति के लिए आवश्यक हों,
- (11) न्यास की कार्य प्रणाली के लिए प्रक्रियाओं को विनियमित करेगी।

न्यास निधि हेतु
अंशदान

10.

(1) मुख्य खनिजों के मामले में :-

- (क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अभिनियम 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व स्वीकृत खनन पट्टाधारकों को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन सक्रियताये जारी हैं के न्यास के द्वितीय अनुसूची के निर्बंधनों में सदत स्वामित्व धनराशि से अनाधिक भुगतान का भुगतान ऐसी रीति से और खनन पट्टा धनीकरण तथा विभिन्न श्रेणी के पट्टाधारकों द्वारा सदेय धनराशि, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाय, के अधधीन करना होगा;
- (ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अभिनियम 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् स्वीकृत किसी खनन पट्टा या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति सहखनन पट्टाधारक को किसी स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन सक्रियताये जारी हों, के न्यास को एका प्रतिशत, जो केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची के निर्बंधनों में सदत स्वामित्व धनराशि के विहित एका प्रतिशत के एक तिहाई स्वामित्व धनराशि से अधिक न हो, के बराबर धनराशि का भुगतान करना होगा;

(2) गौण खनिजों के मामले में :-

1. समस्त उपखनिज पट्टाधारक शयल्टी का 25 प्रतिशत शयल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे।
2. ईट गट्टा समाधान शयल्टी 15 प्रतिशत अथवा सप्ताहण मिट्टी पर 10 प्रतिशत शयल्टी के अतिरिक्त जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में जमा की जायेगी।
3. सशकरी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली मिट्टी पर भुगतान की जाने वाली शयल्टी को धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

न्यास, टिहरी गढवाल।

03.

ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, टिहरी गढवाल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास, टिहरी गढवाल का तत्काल नियमानुसार पंजीकरण करवाते हुए पंजीकृत प्रति अभिलेख हेतु जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढवाल।

4. उपर्युक्त (बालू, बजरी, बील्डर, सोपरस्टोन, शिलिकारौण्ड आदि) के पट्टाधारक अनुसंधारक के द्वारा निरवरी किये गये उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली राशियों की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
5. उपर्युक्त निरवरी कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फलानदेशन द्वारा पर सीधे जमा किये जाने पर रायल्ली का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
6. उपर्युक्त निरवरी कार्य में उपखनिज उपयोग किये जाने पर उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्ली की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
7. उपर्युक्त निरवरी कार्य में प्राप्त उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली राशियों की रायल्ली का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
8. ऐसे एवं अन्य प्राप्ति एवं ब्याज से प्राप्त धनराशि या अन्य प्रकार से प्राप्त धनराशि।
9. जमा की अन्य द्वारा प्राप्त आय या अन्य प्रकार से प्राप्त आय।
10. उपर्युक्त एवं अन्य धनराशि, धन आधेकारी द्वारा प्राप्त आय हेतु सग्रह करने के लिए उत्तरदायी सीमा और उसे जमा द्वारा तथा विनिश्चित किये गये किसी अनुसूचित बैंक में रखे गये जमा के खाते में उक्त धनराशि को जमा करना होगा।

11. जमा किये गये उपलब्ध निधि को उन उपयोग निम्नलिखित समस्त या किसी प्रयोजन के लिए किये जा सकेंगे।
 - (1) अनुसूचित परस्तात पर जमा
 - (2) जमा के पेशावर्तन का 05 प्रतिशत
12. जिला खनिज फलानदेशन द्वारा अधिकृत चार्टर्ड एगजचेंजर द्वारा जिला खनिज फलानदेशन द्वारा जमा की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष वित्तीय की समाप्ति पर की जानी तथा जिला खनिज सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाय। जमा का अपने स्वयं के खाते रखने के साथ ही राज्य सरकार का आडिट करना भी अनिवार्य होगा। प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट जमा समान्य के अवलोकन हेतु उपलब्ध होने आवश्यक है।
13. जमा का प्रबन्धन शासी परिषद् में निहित होगा जिसमें जमा के समस्त सदस्य होंगे जिनमें जमा के तीन प्रतिदिन का प्रथम नियम 4 के उप नियम (6) में यथापरिभाषित प्रथम सदस्य द्वारा किये जायेगा। तथापि राज्य सरकार किसी भी समय प्रबन्ध समिति के प्रबन्ध में परिवर्तन करने का विनिश्चय कर सकती है।
14.
 - (1) शासी परिषद् की बैठक में समस्त विनिश्चय न्यासी द्वारा किये जायेंगे और शासी परिषद् की प्रत्येक बैठक जमा की बैठक समझी जायेगी।
 - (2) शासी परिषद् के समस्त विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जायेंगे। समान मतों की दशा में बैठक के अध्यक्ष का मतदान निर्णायक होगा।
 - (3) जब तक राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान न कर दी जाय तब तक शासीपरिषद् को जमा के विलेख के किसी भाग में संशोधन का अधिकार नहीं होगा।

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

(4) न्यासीगण, शासी परिषद् और प्रबन्ध समिति को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों और मार्गदर्शनों आदि के अनुसार कार्य करना होगा।

न्यास निधि का संचालन

15. न्यास निधि, न्यास के नाम से केवल किसी अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी। बैंक खाता राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से खोला जायेगा और उसके खाते का संचालन सदस्य सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। न्यास इस निधि की लेखा पुस्तिका अनुरक्षित करेगा।

न्यास की परिधि

16. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन न्यास के लिए प्रोद्गूत होने वाली निधियों का प्रयोग करते हुए संबंधित जिलों के न्यास द्वारा किया जायेगा। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तथा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का समग्र लक्ष्य निम्नानुसार है :-

(क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास संबंधी और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रम क्रियान्वित करना, परियोजनाओं और एसी परियोजनाओं/कार्यक्रम राज्य और केन्द्र सरकार की विद्यमान में जारी योजनाओं/परियोजनाओं के लिए क्रियान्वित किये जायेंगे।

(ख) खनन वाले जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर खनन के दौरान या इसके पश्चात् पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यून करना/उसमें कमी लाना और

(ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक सम्पोषणीय जीविका सुनिश्चित करना।

अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान

17. (1) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु धनराशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 सहपठित अनुसूची V एवं अनुसूची VI के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति लोगों के प्रबंधन हेतु पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्र हेतु विस्तार) अधिनियम, 1996 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत अधिशासी (वन अधिकार हेतु चिन्हीकरण) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किया जाय।

अनुसूचित क्षेत्रान्तर्गत खनन गतिविधि से प्रभावित गांव हेतु :-

ग्राम सभा का अनुमोदन निम्न हेतु आवश्यक हैं :-

(क) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत रामस्त योजनाएं, परियोजना एवं कार्यक्रम हेतु।

(ख) राज्य सरकार द्वारा वर्तमान जारी दिशा-निर्देश के अनुसार लाभार्थी का चिन्हीकरण।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की प्रत्येक ग्रामवार प्रगति ग्राम सभा को भेजी जानी है।

(ग्राम सभा का वही अर्थ होगा जैसा कि पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार) अधिनियम, 1956 (अधिनियम 40 ऑफ 1996) में है।

न्यास निधि के लिए

18. न्यास में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जायेगा :-
(क) उपलब्ध निधियों वाले क्षेत्र न्यूनतम 50 प्रतिशत निधि का प्रयोग निम्नलिखित

निर्देशकारी
विभाग

मदों में किया जायेगा -

- (क) पेयजल आपूर्ति:- केन्द्रीयकृत निर्माणांकन प्रणाली, जल संचयन सेवन स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, प्रमुख नगरों की आपूर्ति से जल पाईप विछाने की अच्छी सुविधा सम्मिलित है।
- (ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय- हर क्षेत्र सामान्य संवेदन क्षेत्र में झरना, झील, तालाब, मृगण जल और प्राण समृद्ध प्रदूषण निवारण, खनन सक्रियताओं और मण्डारणों, खान नुस निवारण प्रणाली खनन, खान प्रदूषण निवारण तकनीकों के कारण हुए वायु एवं मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय और कार्यशील या स्थितिगत खानों के लिए उपाय तथा पर्यावरणीय सीमाएँ एवं सम्बन्धीय खनन निवारण हेतु प्रविष्टि अथवा वायु जल तथा भू-सतह प्रदूषण नियंत्रण के उपाय और नदियों के
- (ग) स्वास्थ्य देखभाल:- प्रभावित क्षेत्रों में प्रथमिक/द्वितीयक/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान देकर किताब जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल अवसरचना के सृजन पर ही केन्द्र बन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसी प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए अपेक्षित आवश्यक कर्मचारी, उपकरण और आपूर्तियों के माध्यम से भी बल दिया जाना चाहिए। उस सीमा तक स्थानीय निवासियों, ग्रामों और केन्द्र सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल अवसरचना के प्रदूषण अनुपूरक प्रयास और कार्य किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञ को भी खनन से संबंधित समस्याओं और ग्रामों की देखभाल करने के लिए आवश्यक विशेष अवसरचना को प्रतिक्रिया करने के लिए ध्यानाकर्षित किया जा सकता है। प्रथमिक स्वास्थ्य देखभाल योजना, खनन से प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्रियाशील की जा सकती है।
- (घ) शिक्षा:- विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला और हस्तकला कक्ष, सामूहिक जीवसंरक्षण का निर्माण, पेयजल उपकरण, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/छात्राओं के लिये आवासीय छात्रावास, खेल अवसरचना, व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधा, छात्राओं एवं अन्य सहायक कर्मचारियों को कार्य में लगाया जाना, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं (बस/टैम/पाईकेल/रिक्शा आदि) और पौष्टिकता से संबंधित कार्यक्रमों की व्यवस्था किया जाना।
- (ङ) महिला एवं बाल कल्याण:- मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, किशोरवस्था तथा संक्रामक रोगों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने हेतु विशेष कार्यक्रम न्यास के अधीन किये जायेंगे।
- (च) वयोवृद्ध एवं निशक्त लोगों का कल्याण:- वयोवृद्ध एवं निशक्त लोगों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम;
- (छ) कौशल विकास:- जीविका अवलम्ब एवं आय सृजन हेतु कौशल विकास और स्थानीय मात्र व्यक्तियों के लिए आर्थिक गतिविधियों/परियोजनाओं/योजनाओं में प्रशिक्षण व्यावसायिक/कौशल विकास केन्द्र का विकास स्वरोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूह अवलम्ब और एनई स्वरोजगार संबंधी आर्थिक क्रियाकलापों हेतु अगड़े और पिछड़े लोगों के प्रति जटाय का संपन्न समितियन है।

1
Deli

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

(अ) स्वच्छता- जायशिव का संयोजन, परिवहन और निवारण, स्वच्छता स्थलों की सफाई, जल विकास और मूल उपग्रह संयंत्र का रखरखाव कीवह निवारण उपकरण और प्रमाणन तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों में संबंधित उपकरण।

(2) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र- 40 प्रतिशत तक की भूमि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगा-

- (क) मौसिक उपसंरचना- अपेक्षित मौसिक उपसंरचना मच्छक, फूल, रसदार तथा जलमय संबंधी परियोजनाओं का उपकरण और अनुसंधान;
- (ख) सिंचाई- सिंचाई के नैकलिक स्रोत को विकसित करना और उपकरण तथा विकसित सिंचाई तकनीकों को अपीकृत करना;
- (ग) ऊर्जा एवं जलनिर्मातक विकास- ऊर्जा एवं वर्षा जल संग्रहण उपकरणों के नैकलिक स्रोत का विकास, फसलीधारी, एकिकृत कृषि और आर्थिक एवं जलमय पुनरुत्थान का विकास;
- (घ) खनन वाले जिला में पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुद्धि करने हेतु कोई अन्य उपाय :-

- (एक) फाउण्डेशन के न्यासियों द्वारा दत्त प्रयोजन हेतु वेधन के गड्डे वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जिले में खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास;
- (दो) सामाजिक और आर्थिक प्रयोजनों के लिए स्थानीय व्यवस्थापन का सृजन;
- (तीन) खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय जनसंख्या के लिये सामुदायिक आरितीयों और सेवाओं की व्यवस्था करना, अनुसंधान करना और उनका सुच्छीकरण करना;
- (चार) रोजगार एवं स्वरोजगार क्षमताओं के सृजन हेतु कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा संचालित करना;

परन्तु यह कि वर्ष में न्यास द्वारा प्राप्त कुल निधियों की 5 प्रतिशत से अनाधिक धनराशि न्यास द्वारा अपने प्रशासनिक या अधिष्ठान संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए व्यय की जा सकेगी।

परन्तु यह और भी कि न्यास की निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग, किसी लागप्राही के किसी ऋण के अग्रिम के लिए या उसे नकद अनुदान प्रदान करने के लिए नहीं किया जायेगा।

- लेखा और संपरीक्षा 19. (1) (एक) प्रबन्ध समिति न्यास के मामलों का सत्य और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिए न्यास निधि के संबंध में समुचित लेखापुरितका, दस्तावेज और अन्य अभिलेख अनुरक्षित करेगी या अनुरक्षित करायेगी;
- (दो) न्यास के लेखा की संपरीक्षा कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा की जायेगी;
- (तीन) न्यास के संपरीक्षकों की नियुक्ति, शासी परिषद की बैठक में राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित संपरीक्षक सूची से न्यासियों द्वारा ऐसी निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि न्यासियों द्वारा विनिश्चय किया जाय, पर की जायेगी;
- (चार) संपरीक्षकों को न्यासियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

Ali

जिले के न्यास
टिहरी महानगर।

- (2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी राज्य सरकार संपरीक्षक या सम्परीक्षकों को नियुक्त कर सकती है अथवा महालेखाकार से किसी विशिष्ट वर्ष अथवा अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये गये निबन्धनों और शर्तों पर लेखापरीक्षा हेतु अनुरोध कर सकेगी।
- (3) न्यास, अनुमोदित बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं और परियोजनाओं सहित वार्षिक योजना, जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनके संबंधित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।
- (4) न्यास, अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में त्रैमासिक की समाप्ति के 45 दिन के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय निबन्धनों में एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे तत्पश्चात् तत्काल संबंधित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु जिला पंचायत और जिला प्रशासन को अग्रसारित करेगा।
- (5) न्यास, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना रिपोर्ट और अनुमोदित संपरीक्षा रिपोर्ट शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर जिला पंचायत, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को उनके संबंधित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।

न्यास को संदेय
धनराशि का
अनुश्रवण

20. (1) प्रत्येक पट्टेदार को जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास हेतु संदेय धनराशि, उस अधिकारी को जिसे स्वामित्व धनराशि संदेय हो, सूचित करके ऐसे बैंक खाते में जैसा कि फाउण्डेशन विनिर्दिष्ट करे, विप्रेषित करना होगा।
- (2) प्रत्येक अधिकारी जो स्वामित्व धनराशि संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत हो, को प्रत्येक पट्टेदार द्वारा संदेय और संदत्त धनराशि की पंजी अनुरक्षित करनी होगी और तत्संबंधी समेकित मासिक विवरण प्रत्येक माह की समाप्ति पर समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना होगा।
- (3) योजनाओं के मध्य अपेक्षाकृत अधिक समन्वयात्मक सहक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति के अधीन गठित मंच, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की पहल है, उक्त समिति के मार्गदर्शनों के अनुसार जिला स्तर पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन योजनाओं का अनुश्रवण करेगा।

प्रशासनिक
व्यवस्था

21. (1) राज्य सरकार न्यास के प्रबन्ध एवं वार्षिक योजना के निष्पादन हेतु उक्त प्रयोजनार्थ यथापेक्षित जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों सहित अपने नियंत्रणाधीन कार्मिकों की सेवायें प्रदान करेगी।
- (2) न्यास स्वयं को प्रशासनिक और प्राविधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के सरकारी विभागों से अपेक्षित संख्या में प्रमुख कार्मिकों या जिला परिषद् या ऐसे अन्य संवर्ग के नियमित कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसे कार्मिकों की सेवायें उनके अपने-अपने संवर्गों में बनी रहेंगी। न्यास इस प्रयोजन हेतु अर्जित निधियों का 3 प्रतिशत तक व्यय वहन कर सकेगा।
- (3) न्यास, सेवा प्रदाताओं से ऐसी सेवा प्रदान करने हेतु कह सकता है, जैसा कि न्यास के सुगम कार्य संचालन हेतु आवश्यक हों और अपने कार्य संचालन हेतु उपगत होने वाले आकस्मिक व्यय का उपबन्ध कर सकेगा।
- (4) जिला खनिज न्यास संस्थान की प्रशासनिक, पुनर्पश्चरी एवं अन्य व्यय आदि पर जो भी व्यय होगा, वो न्यास की वार्षिक अंशदान निधि के 5 प्रतिशत

जिला खनिज न्यास संस्थान
जिला पंचायत, जिला प्रशासन

से अधिक नहीं होगा। जिला खनिज संस्थान न्यास के लिए कोई भी अतिरिक्त पद सृजित नहीं किये जायेंगे। यथा आवश्यकतानुसार पदों/वाहनों एवं अन्य सुविधाओं हेतु आउटसोर्स और अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति आदि की व्यवस्था अपनाई जायेगी। न्यास हेतु वाहन का क्रय यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक प्रकार में शासन (वित्त विभाग) की सहमति प्राप्त की जायेगी।

संशोधन

22. राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के एवं निदेशक, मूलत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के बिना किसी भी प्रकार का संशोधन जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास निव्वामवली, 2017 के अधीन गठित होने वाले न्यास में नहीं किया जायगा।

न्यासियों का दायित्व

23. (1) न्यासीगण सदभावनापूर्वक और परिश्रम के साथ वास्तविक रूप में की गयी किसी बात कि लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। न्यासीगण ऐसे किसी बैंकर, ब्रोकर, अभिरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के लिये भी दायी या उत्तरदायी नहीं होंगे, जिनके पास उक्त व्यय धनराशि जमा की जाय या रखी जाय, न तो न्यास निधि के किन्हीं विनिधानों में होने वाली कमी या अपर्याप्तता के लिये और न ही अन्यथा किसी अनेच्छक क्षति के लिये दायी या उत्तरदायी होंगे।
(2) न्यासीगण और प्रत्येक न्यायवादी या न्यासीगण द्वारा नियुक्त अभिकर्ता न्यास के निष्पादन में उपगत समस्त देनदारियों, क्षतियों और व्यय के संबंध में न्यास निधि से क्षतिपूर्ति किये जाने के लिये या घोर उपेक्षा और/या जानबूझकर किये जाने वाले कदाचार से उदमूत होने वाले विवेकों से भिन्न स्वयं में निहित या प्रतिनिधानित किसी शक्ति, प्राधिकार या विवेकाधिकार के लिये उत्तरदायी होंगे; परन्तु यह कि ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा में कुल अंशदानों से अधिक नहीं होंगी।

पारिश्रमिक

न्यास की मुहर

24. न्यासीगण अपनी सेवाओं के लिये किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।
25. न्यासीगण शासी परिषद् की बैठक में, न्यास के प्रयोजन हेतु मुहर उपलब्ध कराने का विनिश्चय कर सकेंगे और उन्हें समय-समय पर यह शक्ति होगी कि वे उसे नष्ट कर दें और उसके बदले में नयी मुहर रखें। न्यास की मुहर कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी और अध्यक्ष को न्यास के लिये और उसकी ओर से उसका उपयोग करने का प्राधिकार प्राप्त होगा।

प्रतिसंहरणीयता

26. यह न्यास राज्य सरकार के विवेक पर प्रतिसंहरणीय होगा, उक्त न्यास उस समय तक अस्तित्व में रहेगा, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिश्चित करे। न्यास समाप्त होने की दशा में, न्यास की समस्त आस्तियां और देनदारियां राज्य सरकार में स्वतः निहित/अन्तरित हो जायेंगी।

1- केशव गैरीगा
परिष्कारक, जिला प्रशासन
2- विवेक सिंह राणा
परिष्कारक, जिला प्रशासन
आज्ञा से
(आनन्द बर्दान)
प्रमुख सचिव

जिलाधिकारी
दिल्ली गढ़वाल।